

Post Poo
12/3/26
(MS)

कार्यालय, न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय महासमुन्द,

जिला महासमुन्द (छ.ग.)

//संक्षिप्त विज्ञापन//

पृ. क्र. 78 /एक-13-1/17/2026

महासमुन्द दिनांक 12/03/2026

छत्तीसगढ़ कुटुम्ब न्यायालय नियम 2007 के अधीन कुटुम्ब न्यायालय महासमुन्द, (लिंग कोर्ट सरायपाली) के लिये 02 (दो) परामर्शदाता की भर्ती की जानी है। राज्य शासन द्वारा परामर्शदाताओं के लिये मानदेय प्रति मामले रू. 500/- रुपये की दर से अधिकतम रू. 1500/- प्रतिदिन निर्धारित किया गया है। इच्छुक स्थानीय नागरिक निर्धारित प्रारूप में आवेदन दिनांक 01./04/2026 संध्या 05:00 बजे तक कार्यालय न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय महासमुन्द, जिला महासमुन्द (छ.ग.) को पंजीकृत डाक या सीधे कार्यालयीलन समय में बंद लिफाफा कर आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है, उक्त तिथि के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

संदर्भित विज्ञापन का विस्तृत जानकारी एवं आवेदन पत्र का प्रारूप जिला न्यायालय महासमुन्द के वेबसाईड <https://mahasamund.courts.gov.in/> पर उपलब्ध है, जिसे डाउनलोड किया जा सकता है।

सलगन- उपरोक्तानुसार


न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय

महासमुन्द (छ.ग.)

12/03/2026

कार्यालय, न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय महासमुन्द,

जिला महासमुन्द (छ.ग.)

//विज्ञापन//

क्र. 79 /एक-13-1/17/2026

महासमुन्द दिनांक 12/03/2026

आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि

01/04/2026 संध्या 05:00 बजे तक

कुटुम्ब न्यायालय महासमुन्द, (लिक कोर्ट सरायपाली) के लिये 02 (दो) परामर्शदाता की भर्ती किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ कुटुम्ब न्यायालय नियम 2007 नियम 8 के अनुरूप अर्हता प्राप्त स्थानीय नागरिक से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:-

01- परामर्शदाता के लिये अर्हता:- कोई भी व्यक्ति जिसके पास एक विषय के रूप में समाज विज्ञान या मनोविज्ञान के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की उपाधि (डिग्री) हो और विशेषतः समाज कार्य, बाल मनोविज्ञान एवं कुटुम्ब संबंधी परामर्श में न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव हो, परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति के लिये पात्र होगा:-

अ) परंतु शैक्षणिक अर्हताएं/न्यूनतम अनुभव में, उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा अपवादित परिस्थितियों में छूट दी जा सकेगी।

ब) परंतु यह और कि अपेक्षित अर्हता रखने वाली महिलाओं को प्राथमिकता दी जा सकेगी।

स) परंतु यह और भी कि कोई भी व्यक्ति परामर्शदाता के पद पर नियुक्ति के लिये तभी पात्र होगा, जब उसने 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, और वह 60 वर्ष की आयु से कम का हो।

02- किसी अभ्यर्थी को, जो:-

(क) एक न्यायाधीश रहा हो, या

(ख) कुटुम्ब संबंधी विषयों में परामर्श का अनुभव रखता हो, अन्य बातें समान होने पर नियुक्ति के मामले में प्राथमिकता दी जावेगी।

03- परामर्शदाता को मानदेय/शुल्क का भुगतान:-

(1) परामर्शदाता के रूप में नियोजित व्यक्तियों को अनुज्ञेय मानदेय या शुल्क ऐसी होगी, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाये।

(2) परामर्शदाता, सुलह के लिये प्रति मामला, प्रति बैठक रु. 500/- (रु. पांच सौ) की न्यूनतम दर से मानदेय या फीस का भुगतान प्राप्त करने के हकदार होंगे, प्रत्येक मामले के लिये निर्बन्धित चार से अधिक संख्या में बैठक नहीं होना चाहिये। किसी भी मामले में परामर्शदाता का कुल मानदेय या फीस रु. 1500/- (रु. एक हजार पांच सौ) प्रतिदिन से अधिक नहीं होगी।

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया:-

- 01- आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किये जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 01/04/2026 की संध्या 05:00 बजे तब बंद लिफाफा में जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम लिखा हो, कार्यालय न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय महासमुन्द, जिला महासमुन्द (छ.ग.) में डाक द्वारा अथवा स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत किये जा सकते हैं। दिनांक 01/04/2026 की संध्या 05:00 बजे के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, निवास प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र आदि से संबंधित संलग्न दस्तावेज स्वप्रमाणित प्रतियाँ प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- 02- जन्मतिथि की सत्यता हेतु जन्म प्रमाण-पत्र, दसवीं/बारहवीं परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंकसूची की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें।
- 03- डाक द्वारा भेजे गये आवेदन पत्रों के विलम्ब से प्राप्त होने या प्राप्त नहीं होने पर इस कार्यालय की जवाबदारी नहीं होगी, और इस संबंध में कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी।

- sd -


न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय
महासमुन्द (छ.ग.)

पु. क्र. 80 /एक-13-1/17/2026

महासमुन्द दिनांक 12/03/2026

प्रतिलिपि:-

- ✓ 01- श्रीमान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय महासमुन्द (छ.ग.) के वेबसाईड <https://mahasamunddcourts.gov.in/> में विज्ञापन, आवेदन पत्र के प्रारूप सहित अपलोड करने एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 02- जनसम्पर्क अधिकारी महासमुन्द/रायपुर (छ.ग.) की ओर आवेदन पत्र के प्रारूप सहित विज्ञापन प्रकाशन एवं सूचना पटल में चस्पा हेतु प्रेषित।
- 03- प्रभारी अधिकारी, प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सरायपाली, जिला महासमुन्द (छ.ग.) की ओर आवश्यक कार्यवाही सूचनार्थ हेतु।
- 04- अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ महासमुन्द/सरायपाली/बसना/बागबाहरा/पिथौरा, जिला महासमुन्द (छ.ग.) की ओर आवश्यक सूचनार्थ हेतु।
- 05- सूचना पटल में चस्पा हेतु।


न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय
महासमुन्द (छ.ग.)


12/03/2026

आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

श्रीमान न्यायाधीश महोदय,
कार्यालय कुटुम्ब न्यायालय महासमुन्द (छ.ग.)

स्वप्रमाणित
वर्तमान रंगीन
फोटोग्राफ चस्पा
करें।

विषय:- कुटुम्ब न्यायालय के लिये परामर्शदाता की भर्ती हेतु।

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि कुटुम्ब न्यायालय महासमुन्द के लिये परामर्श दाता की भर्ती के लिये समाचार पत्र में विज्ञापित प्रसारित किया गया है। मैं, उक्त कार्य के लिये योग्यता रखता हूँ, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

- 01- आवेदक का पूरा नाम _____
- 02- आवेदक के पिता/पति का नाम _____
- 03- वर्तमान पत्र व्यवहार का पता _____

- 04- स्थायी पता _____

- मोबाईल नं. _____
ई-मेल आई.डी. (यदि हो तो) _____
- 05- जन्मतिथि (अंको में)
दिनांक 01/01/2026 को आयु वर्ष माह दिन
(35 वर्ष से अधिक व 60 वर्ष से कम)
- 06- लिंग (महिला/पुरुष) _____
- 07- राष्ट्रीयता _____
- 08- क्या आवेदक स्थानीय निवासी है (हाँ/नहीं) _____
(प्रमाण पत्र संलग्न करें)

09- शैक्षणिक योग्यता:-

(समाज विज्ञान/मनोविज्ञान के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की उपाधी (डिग्री) और विशेषतः समाज कार्य, बाल मनोविज्ञान एवं कुटुम्ब संबंधी परामर्श में कम से कम दो वर्ष का अनुभव)

क्र.	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	बोर्ड/वि.वि. का नाम	वर्ष	प्रासांक/ कुल अंक	प्रतिशत	श्रेणी
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						

10- अनुभव (प्रमाण पत्र संलग्न करें) _____

11- आवेदन पत्र के साथ संलग्न स्वप्रमाणित दस्तावेजों का विवरण:-

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

//घोषणा पत्र//

मैं,परामर्शदाता के रूप में कार्य करने के लिये सहमत हूँ। न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय के द्वारा दिये गये कार्य का निष्पादन मैं, निष्पक्षता के साथ करूंगा/करूंगी तथा राज्य सरकार द्वारा दिये गये मानदेय की राशि से सहमत हूँ।

दिनांक

स्थान

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर
(पूर्ण पता एवं मोबाईल नम्बर सहित)